1	2	3	4
12.	MAHARASHTRA	2588	2624
13.	MANIPUR	24	38
14.	MEGHALAYA	16	42
15.	MIZORAM	23	45
16.	NAGALAND	20	20
17.	ORISSA	1156	553
18.	RAJASTHAN	718	782
19.	SIKKIM	400	2
20.	TAMILNADU	11	15
21.	TRIPURA	25	32
22.	UTTAR PRADESH	1141	1118
23.	WEST BENGAL	826	33
24.	A & N ISLANDS	12	15
25.	D. & N. HAVELI	2	3
26.	DAMAN & DIU	3	1
27.	LAKSHADWEEP	5	NIL
	TOTAL :	11302	9721

राजस्थान को वस्तुओं का आवंटन

544. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किन-किन वस्तुओं का कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ख) इस वर्ष सारी वस्तुओं का कम आवंटन किए जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या यह आवंटन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी, पिछड़ापन, गरीबी अथवा आबादी के आधार पर किया जाता है; यदि हां, तो इन मानदंडों का पालन किन कारणों से नहीं किया जा रहा; और

(घ) क्या भविष्य में इन मानदंडों का पालन किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें राजस्थान शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का थोक में आवंटन करती है। राजस्थान को 1990-91 और 1992 में आवंटित की गई वस्तुओं की मात्रा निम्नवत है :—

(हजार मी० टन में)

	आवंटन		
	1990	1991	1992
चावल	38.4	42.2	46.2
गेहूं	840.1	957.5	1083.0
लेवी चीनी	208.1	212.3	218.2
आयतित खाद्य तेल	10.0	3.1	2.6
मिट्टी का तेल	263.7	264.9	265.1

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ पाने की हकदार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करना नहीं होती है। इन कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय केन्द्रीय पूल में मौजूद भण्डार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं, मौसमजन्य कारणों तथा बाजार में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। लेवी चीनी के मामले को छोड़कर, अन्य आबंटन आबादी के आधार पर नहीं किए जाते हैं। लेवी चीनी का आबंटन, 1-10-86 को अनुमानित आबादी के लिए सामान्यतया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। अगस्त 1991 से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है।

विद्युत उपकरणों का आई. एस. आई. चिन्ह के बिना उत्पादन

545. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में कई बिजली के उपकरणों का उत्पादन आई. एस. आई. चिन्ह के बिना ही हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के बिजली के उपकरणों के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने निम्नांकित आदेश जारी किए हैं :—

(1) घरेलू बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1981, जिसके तहत कई बिजली के उपकरण संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होने आवश्यक हैं, और

(2) बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1988, जिसके तहत कुछ बिजली उपकरणों के विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण प्राप्त करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

546. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन वस्तुओं का मूल्य कितना बढ़ाया गया है और कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ग) इस समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना-कितना है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1990 में और एक बार 1991 में संशोधन किया गया था। आयातित खाद्य तेलों और लेवी चीनी की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1991 तथा एक बार 1992 में संशोधन किया गया था। अन्य संशोधनों के साथ-साथ चालू कीमतें विवरण में दर्शाई गई हैं। **(नीचे देखिए)**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो उचित मार्जिन जोड़ कर अन्तिम खुदरा कीमतें तय करते हैं, जिसमें ढुलाई और अन्य व्यय शामिल होते हैं। संपृष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इन क्षेत्रों के लिए जारी किए गए चावल तथा गेहूं की खुदरा कीमतों में केन्द्रीय निर्गम कीमतों से 25 पैसे प्रति किलो से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।